HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15146/2024

Sahil Gurjar S/o Rajender Gurjar, Aged About 19 Years, R/o Dhani Devla Wali, Tan Beesa Ka Bas, Police Station Thanagazi, District Alwar. (Accused In Sub Jail, Behror)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15147/2024

Sachin Gurjar S/o Kailashchand, Aged About 22 Years, R/o Dhani Devla Wali, Tan Beesa Ka Bas, Police Station Thanagazi, District Alwar. (Accused In Sub Jail, Behror)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohit Tantia Mr. Rohit Tantia
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy. GA

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Judgment / Order

03/12/2024

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– हरसोरा, जिला– कोटपूतली–बहरोड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 190/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 61(2)(ए) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25, 5/25 आयुध अधिनियम, में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 61(2)(ए) बी.एन.एस एवं धारा 3/25, 5/25(6) आयुध अधिनियम के तहत झूठा संबद्ध किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व का कोई सजायबी रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से प्रकरण में तथाकथिक अवैध पिस्टल की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मात्र मुख्य अभियुक्त रामनिवास जिसके कब्जे से उक्त पिस्टल बरामद हुई है, उसके पूछताछ नोट एवं धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर अपराध में संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में और कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सचिन दिनांक 17.11.2024 से तथा साहिल गुर्जर दिनांक 20.11.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाये।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अवैध पिस्टल की बरामदगी अभियुक्त रामनिवास उर्फ रामू से होना बताया गया है तथा उसकी सूचना के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में संबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। जिससे यह प्रकट होता हो कि प्राथीगण/अभियुक्तगण ने उक्त पिस्टल सहअभियुक्त रामनिवास को उपलब्ध कराई है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत का आवदेन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. साहिल गुर्जर पुत्र राजेन्द्र गुर्जर, 2. सचिन गुर्जर पुत्र कैलाशचंद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

NITIN/MOHIT/203-204